

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR
CHHATTISGARH AT BILASPUR**

Division Bench
MCC No. 1239 of 2013
(Tax Case No. 56 of 2009)

APPELLANT:

Union of India through
Commissioner, Central
Excise & Customs,
Central Excise Bhawan,
dhamtari Road,
Tikrapara, Raipur (C.G.)
492001.

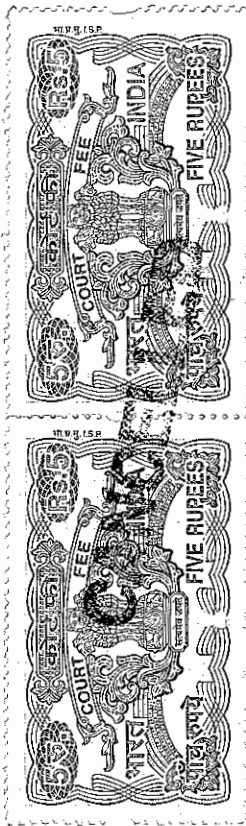
R. No. 1239/12
Presented by Shri. Shri. S. S. S. S.
dated 18/12/12

Versus

RESPONDENT:

M/s. Jindal Steel & Power
Ltd., P.O. Box No. 16, Kharsia
Road, Raigarh-496001 (CG)

**APPLICATION FOR RECALLING ORDER DATED 06.11.2013 &
RESTORATION OF TAX CASE TO ITS ORIGINAL NO.**





13

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ०ग०)

युगल पीठ

युगल पीठ: माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री यतीन्द्र सिंह,
माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव,

विविध व्यवहार प्रकरण (एम.सी.सी.) संख्या- १२३९/२०१३

आवेदक पक्ष- यूनियन आफ इंडिया
विरुद्ध
उत्तरवादी पक्ष- मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर
लिमिटेड, रायगढ़

मूल टैक्स प्रकरण संख्या- ५६/२००९ के पुनर्स्थापन हेतु आवेदन-पत्र

उपस्थिति - आवेदक पक्ष की ओर से श्रीमती स्मिति शर्मा, अधिवक्ता तरफे
श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता।

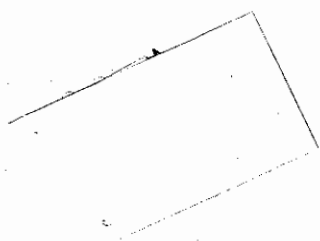
आदेश

(०१ जनवरी २०१४)

०१. यूनियन आफ इंडिया (आवेदक पक्ष) का मूल टैक्स प्रकरण संख्या- ५६/२००९ को आवेदक स्वयं अथवा उसकी तरफ से कोई भी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने से आदेश दिनांक- ०६ नवम्बर २०१३ के द्वारा अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, जिसके पुनर्स्थापन हेतु यह विविध व्यवहार प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

०२. हमने, आवेदक अधिवक्ता को सुना।

०३. आवेदक पक्ष द्वारा मूल टैक्स प्रकरण संख्या- ५६/२००९ के पुनर्स्थापन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ की जाती है।





13

- 2 -

०४. आवेदक पक्ष के उक्त मूल टैक्स प्रकरण को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु आवेदक पक्ष के द्वारा अपने आवेदन-पत्र में अनुपस्थिति के जो कारण दर्शाये गये हैं, वे सद्भाविक प्रतीत होने से पुनर्स्थापन का आवेदन स्वीकार किया जाता है। टैक्स प्रकरण संख्या-५६/२००९ में पारित आदेश दिनांक ०६ नवम्बर २०१३ को वापस लिया जाता है एवं उसे अपने मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित किया जाता है। कार्यालय, उचित कार्यवाही करे।

०५. यह विविध व्यवहार प्रकरण उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

Sd/-
Chief Justice

Sd/-
Manindra Mohan Shrivastava
Judge

मधुलिका